भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 361

04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: किसान क्रेडिट कार्ड ऋण

361. श्री रमाशंकर राजभर:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

क. क्या किसानों के कल्याण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण प्रदान किए जाते हैं;

ख. यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

ग. क्या उन किसानों के ऋणों को माफ करने की कोई योजना है जिनकी भूमि और मकान नदी में डूब गए हैं अथवा जिनकी फसलें प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो गई हैं;

घ. यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

ङ. क्या सरकार द्वारा ऐसे किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड ऋणों को माफ करने के लिए कोई योजना बनाए जाने की संभावना है; और

च. यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) किसानों को उनकी प्रचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि ऋण प्राप्त करने हेतु प्रदान किए जाते हैं। केसीसी के तहत ऋण 7% प्रति वर्ष की किफायती ब्याज दर पर प्रदान किए जाते हैं और इसके लिए वित्तीय संस्थानों को संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) के माध्यम से 1.5% की अग्रिम ब्याज अनुदान (आईएस) प्रदान की जाती है। इसके अलावा, किसानों को ऋण के शीघ्र और समय पर पुनर्भुगतान के लिए अतिरिक्त 3% शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) भी दिया जाता है; इस प्रकार, प्रभावी ब्याज दर को घटाकर 4% प्रति वर्ष कर दिया जाता है। आईएस और पीआरआई लाभ केवल 3 लाख रुपये की ऋण सीमा के लिए उपलब्ध है। यदि अल्पकालिक ऋण केवल संबद्ध गतिविधियों (फसल पालन के अलावा) के लिए लिया जाता है, तो ऋण राशि केवल 2.00 लाख रुपये तक सीमित है।

(ग) एवं (घ): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कोई ऋण माफी योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है। रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 अक्टूबर, 2018 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) और आरआरबी को अलग-अलग मास्टर निर्देश - प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय जारी किए हैं। मास्टर निर्देशों के अनुसार, राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा घोषित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में, सभी अल्पकालिक केसीसी ऋण, सिवाय उनके जो प्राकृतिक आपदा के समय अतिदेय हैं, पुनर्गठन के लिए पात्र होंगे। प्रभावित कर्ज लेने वाले को बैंकों द्वारा नए ऋण भी स्वीकृत किए जा सकते हैं। उधारकर्ता की पुनर्भुगतान क्षमता और प्राकृतिक आपदा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कृषि अवधि ऋण की किस्तों को भी पुनर्निर्धारित किया जाएगा। प्राकृतिक आपदा की गंभीरता के आधार पर, एसएलबीसी/डीसीसी इस बात पर विचार करेगा कि क्या अन्य सभी ऋणों (अर्थात कृषि ऋणों के अलावा) जैसे कि संबद्ध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण, ग्रामीण कारीगरों, व्यापारियों, सूक्ष्म/लघु औद्योगिक इकाइयों को दिए गए ऋण या चरम स्थितियों के मामले में, मध्यम उद्यमों के लिए सामान्य पुनर्निर्धारण की आवश्यकता है या नहीं।

इसके अतिरिक्त, यह विभाग वर्ष 2016 से पूरे देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का क्रियान्वयन कर रहा है। यह योजना किसानों और राज्यों के लिए स्वैच्छिक है। योजना के प्रावधानों के अनुसार, सूखा, बाढ़ आदि जैसी व्यापक आपदाओं के संबंध में स्वीकार्य दावों की गणना बीमा कंपनियों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में उपज के आंकड़ों के आधार पर की जाती है, जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा बीमा कंपनी को उपलब्ध कराए जाते हैं और योजना के परिचालन दिशानिर्देशों में परिकल्पित दावा गणना सूत्र के आधार पर बीमा कंपनियों द्वारा सीधे बीमित किसानों के खातों में भुगतान किया जाता है। हालांकि, ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलप्लावन, बादल फटना, प्राकृतिक आग और चक्रवात, चक्रवाती/बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसल के बाद होने वाले नुकसान के स्थानीय जोखिमों के कारण होने वाले नुकसान को व्यक्तिगत खेत के आधार पर परिचालित किया जाता है। यहां किसानों को नुकसान की घटना की सूचना बीमा कंपनी/राज्य सरकार/संबंधित वित्तीय संस्थान/पोर्टल/ऐप को नुकसान के 72 घंटे के भीतर देनी होती है। इन दावों का मूल्यांकन राज्य सरकार और संबंधित बीमा कंपनी के प्रतिनिधित्व वाली एक संयुक्त समिति द्वारा किया जाता है।

(ङ.) एवं (च): ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****